

कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-१८, वन भवन, सैक्टर ६, पंचकुला, दूरभाष / फैक्स +९१ १७२ २५६३९८८, २५६३८६१, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-८१११/

२०५७

दिनांक: २९-९-१७

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार।

विषय: Diversion of 0.459 ha. of forest land for laying of OFC by Idea Cellular Ltd. in near Shiv Mandir Hisar District end point Shekhupur Daroli road to Idea Tower near Railway Station Bhattu Kalan Village under forest division and District Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Others/15453/2015

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक ५६० दिनांक २०-९-२०१७।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भाकृत पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा २ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

२. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक १६७०-व-२-२०१६/८४३० दिनांक ६-५-२०१६ की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयांकित उद्देश्य हेतु ०.४५९ हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

१. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
२. इस क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
३. प्रयोक्ता एजैन्सी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पौधारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्त की पालना करेगी।
४. यह ओ०एफ०सी० वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी।
५. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी।
६. प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी।
७. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
८. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा।
९. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है।
१०. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
११. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।
१२. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है।

वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ०सी०)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।

प्रतिलिपि :-

१. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं० २४-२५, सैक्टर-३१-ए, चण्डीगढ़।
२. वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद।
- ३- Senior General Manager, Idea Cellular Ltd., Ambala Cantt.